संख्या- **650**/2025/1941/41-1-2025/007-CN-1796736-2024

प्रेषक,

संजीव कुमार श्रीवास्तव,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
पर्यटन,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पर्यटन अनुभाग-1 लखनऊ: दिनांक **14** जुलाई, 2025

विषयः- उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग की विभिन्न परियोजनाओं की द्वितीय किश्त की वित्तीय स्वीकृति के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं0-1737/6-1-1(रा0-यो0/यू0सी0)/2025-26,दिनांक 05जुलाई, 2025,पत्र सं0-1738/6-1-1(रा0-यो0/यू0सी0)/2025-26, दिनांक 05जुलाई, 2025 एवं पत्र सं0-1739/6-1-1(रा0-यो0/यू0सी0)/2025-26,दिनांक 05जुलाई, 2025का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास योजनान्तर्गत निम्नवत परियोजनाओं हेतु द्वितीय किश्त के रूप में निम्नवत् तालिका के स्तम्भ-8 के अनुसार कुल 14 परियोजनाओं हेतु धनराशि रू0 715.00लाख (रूपये सात करोड़ पन्द्रह लाख मात्र) को अवमुक्त किये जाने की स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0	कम्प्यूटर संख्या	कार्य का नाम	नामित कार्यदायी संस्था	शासनादेश संख्या एवं दिनांक	प्रशासकीय स्वीकृति (जी0एस0टी0 सहित)	प्रथम किश्त के रूप में अवमुक्त की गयी धनराशि	द्वितीय किश्त हेतु अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	1912312	जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड रामकोला के ग्राम सभा कुसमहा में स्थित रामजानकी मंदिर का पर्यटन विकास कार्य हेतु	कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाईन सर्विसेज (उत्तर प्रदेश जल निगम)	331/2025/1037/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 29 मार्च, 2025	87.65	0.25	45.00
2.	1912757	जनपद कुशीनगर में विकास खण्ड सेवरही के ग्राम पथरवा में भगवान शंकर जी के मंदिर का पर्यटन विकास कार्य हेतु	कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाईन सर्विसेज (उत्तर प्रदेश जल निगम)	331/2025/1037/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 29 मार्च, 2025	85.40	0.25	45.00
3.	1913824	जनपद कुशीनगर के विकास खण्ड सुकरौली बंनचरा में प्रसिद्ध काली माता मंदिर का पर्यटन विकास कार्य	कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाईन सर्विसेज (उत्तर प्रदेश जल निगम)	350/2025/1101/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 30 मार्च, 2025 एवं शुद्धि पत्र शासनादेश सं0-396/2025/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 31 मार्च, 2025	100.70	0.25	60.00
4.	1912298	जनपद महराजगंज के भगवानपुर तहसील नौतनवां में शिव मंदिर का पर्यटन विकास कार्य हेतु	कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाईन सर्विसेज (उत्तर प्रदेश जल निगम)	331/2025/1037/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 29 मार्च, 2025	71.26	0.25	40.00
5.	1914673	जनपद कुशीनगर के विधानसभा पडरौना में पौराणिक स्थल बांसी ग्राम का पर्यटन विकास कार्य	कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाईन सर्विसेज (उत्तर प्रदेश जल	369/2025/1101-41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 30 मार्च, 2025	87.39	0.25	45.00

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

			निगम)				
6.	1914774	जनपद मैनपुरी के ग्राम जासमई में श्री हनुमान जी महाराज मन्दिर का पर्यटन विकास कार्य	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0	426/2025/ 1328-41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 28 अप्रैल, 2025	191.53	0.25	100.00
7.	1914764	जनपद बुलन्दशहर के खुर्जा में स्थित प्राचीन शीतला माता मंदिर के पर्यटन विकास कार्य	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0	426/2025/ 1328-41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 28 अप्रैल, 2025	61.18	0.25	35.00
8.	1913977	जनपद जौनपुर के गैरवाह में बसौली माई धाम का सौन्दर्यीकरण एवं विकास कार्य	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0	431/2025/1328-41-1-2025/002-CN-1796736-2024, दिनांक 28 अप्रैल, 2025	82.30	0.25	45.00
9.	1913895	जनपद हाथरस के वि0ख0-सदर में खिटौली से परौली के बीच स्थित प्राचीन सिद्धपीठ पराशर तोभूमि का पर्यटन विकास कार्य	उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0	431/2025/1328-41-1-2025/002-CN-1796736-2024, दिनांक 28 अप्रैल, 2025	96.12	0.25	55.00
10.	1911984	जनपद हरदोई ग्राम संगोचामऊ स्थित संत महात्मा श्री तुलाराम बाबा देव स्थान के पर्यटन विकास कार्य	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0	317/2025/928/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 27 मार्च, 2025	74.61	01.00	40.00
11.	1912327	जनपद उन्नाव के वि0ख0 सफीपुर में तेलाही माता मंदिर का पर्यटन विकास कार्य।	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0	317/2025/928/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 27 मार्च, 2025	74.90	01.00	40.00
12.	1912728	**जनपद प्रयागराज में श्री नर्मदेश्वर शिव मंदिर का उमापुर नीवा का पर्यटन विकास कार्य।**	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0	317/2025/928/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 27 मार्च, 2025	99.99	01.00	60.00
13.	1914690	जनपद कौशाम्बी के ग्राम नीबी शाना(शाना नीबी) पोस्ट-जलालपुर में स्थित अश्वघोष विशाल बुद्ध बिहा का पर्यटन विकास कार्य	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0	369/2025/1101-41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 30 मार्च, 2025	72.41	0.25	40.00
14.	1914759	जनपदसन्तकबीरनगर के विधान सभा-खलीलाबाद के ग्रामसभा-कोल्हुआ में प्रसिद्धसमय माता मंदिर के पर्यटन विकस एवं अवस्थापना सुविधाओं के सृजन कार्य	उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0	426/2025/ 1328-41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 28 अप्रैल, 2025	114.91	0.25	65.00
			कुल योग	**(रूपये सात करोड़ पन्द्रह लाख मात्र)**			**715.00**

(1) परियोजनाओं हेतु पूर्व में निर्गत पर्यटन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश सं0-317/2025/928/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 27 मार्च, 2025, शासनादेश सं0-331/2025/1037/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 29 मार्च, 2025,शासनादेश सं0-369/2025/1101-41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 30 मार्च, 2025, 396/2025/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 31 मार्च, 2025,शासनादेश सं0-350/2025/1101/41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 30 मार्च, 2025,शासनादेश सं0-426/2025/1328-41-1-2025-CN-1796736-2024, दिनांक 28 अप्रैल, 2025एवंशासनादेश सं0-431/2025/1328-41-1-2025/002-CN-1796736-2024, दिनांक 28 अप्रैल, 2025में उल्लिखित शर्तों/प्रतिबंधों का अनुपालन पूर्णतया करा लिया गया हो।

(2) परियोजनाओं हेतु अगली किश्त की मांग करते समय कार्यदायी संस्था/पर्यटन निदेशालयद्वारा जी0एस0टी0 एवं लेबर सेस मद में जमा की गयी धनराशि का प्रमाण पत्र एवं चालान की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025**,** दिनांक 27 मार्च**,** 2025 में निहित शर्तों एवं प्रावधानों के

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा। अवमुक्त की जा रही धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है, उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा।

(4) प्रश्नगत परियोजनाओं के निर्माण कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा सक्षम स्तर से अनुमोदित जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में प्रामाणिक प्रपत्र महानिदेशक पर्यटन के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबर सेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यो का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(6) प्रश्नगत परियोजनाओं में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(7) प्रश्नगत परियोजनाओं में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर -212 (VII) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत परियोजनाओं में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में निर्माण कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(9) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(10) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जायेगा। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय। इसका अनुपालन पर्यटन निदेशालय एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(11) अवमुक्त की जा रही धनराशि की स्वीकृति कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना/विवरण के आधार पर प्रदान की जा रही है। यदि परियोजना के मानक के सम्बन्ध में कोई सूचना गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था एवं पर्यटन निदेशालय एवं क्षेत्रीय अधिकारियों का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स प्रतिहस्ताक्षारित कराये हुये (तिथि साहित) सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(12) महानिदेशक, पर्यटन द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे।

(13) सोलर लाइट/सौर ऊर्जा से सम्बन्धित लाइटों/उपकरणों का क्रय उ0 प्र0 नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA) से नियमानुसार क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(14) परियोजना के कार्य पूर्ण होने के उपरान्त परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट एक पक्ष के भीतर उपलब्ध करायी जायेगी। परियोजना की क्लोजर रिपोर्ट उपलब्ध न कराये जाने की स्थिति में उक्त कृत्य को अनियमितता मानते हुए सम्बन्धित परियोजना प्रबन्धक/अपर परियोजना प्रबन्धक एवं ठेकेदार के विरूद्ध नियमानुसार प्रथम सूचना रिपोर्ट (एफ0आई0आर0) दर्ज कराने की कार्यवाही पर्यटन निदेशालय/सम्बन्धित क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी/उपनिदेशक, पर्यटन द्वारा की जायेगी।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रूपये 7,15,00,000 (रूपये सात करोड़ पन्द्रह लाखमात्र)को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-044 लेखा शीर्षक 5452801040800 मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास मानक मद-24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

<u>संख्या व दिनांक तदैव</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय,उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय,उत्तर प्रदेश,प्रयागराज।
3. सम्बन्धित जिलाधिकारीद्वारा महानिदेशक, पर्यटन, उत्तर प्रदेश।
4. मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।
5. निदेशक, कन्स्ट्रक्शन एण्ड डिजाईन सर्विसेज (उत्तर प्रदेश जल निगम), लखनऊ।
6. प्रबन्ध निदेशक,उत्तर प्रदेश प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लि0/उत्तर प्रदेश राज्य पर्यटन विकास निगम लि0,लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक,पर्यटन निदेशालय,लखनऊ।
8. निदेशक,उत्तर प्रदेश नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास अभिकरण (UPNEDA),लखनऊ।
9. क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी (राज्य योजना), पर्यटन निदेशालय,लखनऊ।
10. सम्बन्धित उप निदेशक, पर्यटन/क्षेत्रीय पर्यटन अधिकारी, पर्यटनद्वारा महानिदेशक, पर्यटन, उत्तर प्रदेश।
11. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-7।
12. गार्ड-फाइल।

आज्ञा से,

(संजीव कुमार श्रीवास्तव)
उप सचिव।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।